शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जनवरी 2018
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

महिला अपराधियों का अध्ययन : जनपद मेरठ के सन्दर्भ में

डॉ. रेनू देवी
सहायक प्राध्यापक (भूगोल)
डी.जे.कॉलेज, बडौत
बागपत, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

महिलाओं में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति आज हमारे सामने एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरकर सामने आयी है तथा इस समस्या ने विराट रूप धारण कर लिया है। आज हमारे चारों ओर, हत्या, चोरी, वेश्यावृत्ति, साइबर क्राइम, धोखाधड़ी जैसे अपराधों में अत्यन्त वृद्धि होती जा रही है। इस क्षेत्र में भूमण्डलीकरण एवं महिला सशक्तिकरण के पश्चात् महिलाओं की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी देखने को आयी है और अधिक गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम पाते हैं कि समाज में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, बेगारी, गरीबी एवं अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याएँ महिलाओं को अपराध के रास्ते पर ले जाने के लिये बाध्य कर रही है।

अपराध में उत्तर प्रदेश की स्थिति

आज के युग में मानव ने जैसे-जैसे भौतिक सुख संसाधनों में उन्नति हासिल की है। उसी क्रम में भी समाज में अपराध में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को आयी है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान डिजिटल इंडिया के दौर में देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के भी सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2016 में यूपी में साइबर अपराध के 2,639 मामले दर्ज किए गए। यह देश में हुए कुल साइबर अपराध का 21.4 प्रतिशत है, जबकि दिल्ली, बिहार उत्तराखण्ड और झारखंड में इस मामले में काफी हद तक सुरक्षित रहे।

देश में साइबर अपराध के कुल 12,317 मामले आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विशेष व क्षेत्रीय कानून (एसएलएल) के तहत दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 2,380, कनार्टक में 1101, राजस्थान में 941 और असम में 696 मामले दर्ज हुए। राष्ट्रीय अपराध रिकर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक देश के 19 मेट्रो शहरों में शामिल यूपी के तीन शहर भी साइबर अपराधियों के निशाने पर रहे। इनमें लखनऊ में 361, गाजियाबाद में 62 और कानपुर में 136 मुकदमें दर्ज हुए। हालांकि मेट्रों शहरों में साइबर अपराध के मामले में सबसे असुरक्षित मुंबई रहा जहां 980 मामले सामने आए। इसके अलावा बेंगलुरु में 762, जयपुर में 532, पुणे में 269 और दिल्ली में 90 मामले दर्ज हुए अगर सिर्फ मेट्रो शहरों पर गौर किया जाए तो कुल 4,172 मामले दर्ज हुए जो पिछले साल हुए4,561 दर्ज मामलों से कम हैं। इन शहरों में बढ़े साइबर अपराधों के निपटारे की गति बहुत अच्छी नहीं है। आधे से अधिक मामलों में पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

राष्ट्रीय ब्यूरों की रिपोर्ट में साफ है कि साइबर अपराध के मकसद गैरकानूनी कमाई, बदला लेने का मकसद, महिलाओं के अपमान, ब्लैकमेलिंग, राजनीतिक हित समेत अन्य थे। साइबर अपराध को अंजाम

देने में बड़ी तादाद में पुरुषों और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में लिए गए कुल 7843 पुरुष और 147 महिलाओं में से 251 पुरुष व 3 महिलाएं दोषी करार दी गई। 683 पुरुष और 12 महिलाओं को बरी कर दिया गया। इसके अलावा 17 पुरुष व एक महिला को ट्रायल के दौरान ही आरोपमुक्त किया गया।

मेरठ में साढ़े पांच सौ मामले

मेरठ में वर्ष 2016 में साइबर अपराध के करीब साढ़े पांच सौ मामले साइबर क्राइम सेल में दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले एटीएम कार्ड बदलने और ओटीपी पूछकर खाते से रकम निकालने के हैं। इस साल साइबर सेल ने विभिन्न मामलों में पीड़ितों को करीब 23 लाख रुपये की रकम वापस दिलवाई है। साइबर अपराध में करीब 50 लोगों को इस साल जेल भी हुई है। बैंक खाते से रकम निकलने के मामलों में अधिकांश अपराधी बिहार और झारखंड के ट्रेस हुए हैं।

साईबर अपराध में महिलाएं

अध्ययन के मुताबिक औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया का असर महिलाओं की जीवन पद्धति पर पड़ा तथा इन प्रक्रियाओं ने महिलाओं के विलासिता की ओर धकेला तथा अच्छा जीवन जीने की चाह ने आज महिलाओं के अपराध के क्षेत्र में भी लाकर खड़ा कर दिया है। आज हमारे समाज में आधुनीकीकरण की प्रक्रिया तेज होने के कारण सामाजिक संरचना में तेजी से परिवर्तन आये हैं और महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरूषों के बराबर आकर खड़ी हो गयी है। इस बदली व्यवस्था के कारण महिलाएँ अविवाहित मातृत्व,भ्रूण हत्या, हत्या, चोरी, धोखाधड़ी के साथ-साथ समाज में तलाक की संख्या में तेजी से वृद्धि इस बात का संकेत है कि सामाजिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हुआ है। आज हमारे सामने व्यवस्था में इस बदलाव को ढूढ़ने की चुनौती है जो हमारे समाज में ऐसे कारकों को प्रभावित करता है।

प्रत्येक समाज में अपराध की दर अलग-अलग है। इसलिये प्रत्येक समाज का अध्ययन कर हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर सकते हैं। समाज में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अपराध गम्भीर माना जाता है। क्योंकि महिलाएँ अब तक समाज में पूजनीय स्थान बनाये रखती है तथा समाज की आधारभूत ईकाई मानी जाती है।

महिला अपराधों को पुरूषों की अपेक्षा अधिक गम्भीर इसलिये भी माना जाता है क्योंकि महिला अपराध समाज में अपनी छाप की प्रभाविता पुरुषों की तुलना में ज्यादा छोड़ता है तथा महिलाओं की समाज में केन्द्रीय स्थिति पुरुषों की अपेक्षा गम्भीर बना देती है। इस स्थिति में यह शोध लेख और महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

महिला अपराध अधिकांशत: परिस्थितिजन्य अपराध पाये जाते हैं। समाज विज्ञानों में यह माना जाता है कि अपराधी व्यवहार हमारे सीखे हुए व्यवहार का हिस्सा होता है। महिला अपराध की प्रकृति में अधिकतर अपराध अपने या व्यक्ति के प्रति समुदाय के विरूद्ध हो जाते हैं, इसमें परिस्थितियों की अहम भूमिका होती है।

कुछ समाज वैज्ञानिकों के अनुसार स्त्री अपराधियों में एक विशेष मानसिक स्थिति पायी जाती है जिसे 'क्लेप्टोमोनिया' बताया है। कुछ समाज वैज्ञानिकों ने महिलाओं की आर्थिक तंगी एवं परआश्रितता को

अपराध का कारण बताया है। नौकरी करने वाली स्त्रियों का आर्थिक एवं शारीरिक शोषण अपराध का मुख्य कारण है। महिलाओं के सामाजिक सम्बन्धों में माता-पिता या पति द्वारा उपेक्षा महिलाओं में अपराध प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है। कुछ अपराधशास्त्रियों ने पर्यावरण, युद्ध और बीमारी जैसी आपात एवं असामान्य परिस्थिति को महिला अपराधों का प्रमुख कारण माना है।

परिवार एवं समुदाय के द्वारा सामाजिक नियन्त्रण की कमी के कारण महिला अपराध प्रवृत्ति है। विशेषतः नगरों में पारिवारिक नियन्त्रण में कमी ने अपराध को बढ़ावा देने का कार्य किया है। महिला अपराध के बारे में राम अहूजा (1969) कहते हैं कि महिला अपराधियों के अध्ययन को सामान्यतः उपेक्षित किया गया है। महिलाओं में अपराध प्रवृत्ति को जानने के लिये पश्चिमी समाज में अध्ययन किये गये हैं जैसे फ्रांसिस कोलार (1900), सिसल विशप (931) ओटो पोलाक (1950), डोनाल्ड क्लेमर आदि का मानना है कि महिला अपराध के अध्ययन पर जोर देने की आवश्यकता है।

राम आहूजा का कहना है कि महिला द्वारा अपराध प्रवृत्ति को बढ़ाने के पीछे सबसे प्रमुख कारण कुप्रबन्धन, अधिक प्रजजन दर, गरीबी, बेकारी, पति व ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना, इच्छाओं की पूर्ति न होना, संकीर्ण मानसिकता, अनियन्त्रित खर्चे, शकी, भ्रष्ट, डरपोक आदि कारणों से महिला अपराध कर बैठती हैं।

प्रस्तुत शोध लेख में महिला अपराधियों द्वारा किये गये अपराध की प्रवृत्ति सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अपराधी प्रवृत्ति का कारण समाज का अपराधी महिला को प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन हम 30 अपराधी महिलाओं के केसों का अध्ययन कर जो मेरठ जिले एवं आसपास से सम्बन्धित है। उनका विश्लेषण गहन तरीके से लेकर अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया है। जो आने वाले समय में समाज के लिये महत्वपूर्ण है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र में मेरठ जिले एवं आसपास की महिला अपराधियों का अध्ययन के लिये चयन किया गया तथा उसके केस को स्टडी कर उन कारकों को जानने का प्रयास किया गया है, जिनके कारण वे अपराध की तरफ आकर्षित हुई हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में व्यक्तित्व अध्ययन एवं केसों से सम्बन्धित खतरों का गहरा विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास है। क्योंकि सभी महिला अपराधियों से मुलाकात कर जानकारी प्राप्त करना भी सम्भव नहीं है। अतः अध्ययन में महिलाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर उनका विश्लेषण से महत्वपूर्ण तथ्यों को खोजकर शोध में में प्रस्तुत किया गया है।

नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन संस्था है जो प्रतिवर्ष क्राइम इन इण्डिया नाम से रिपोर्ट प्रकाशित करती है। जिसमें समाज के अपराध का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट में दो प्रकार के वर्गीकरण बताए हैं-

1 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज अपराध और

2 स्थानीय एवं विशिष्ट कानून के अन्तर्गत दर्ज अपराध।

महिला अपराधियों के कारणों को जानने के लिये उनका निम्न प्रकार हैं -

तालिका संख्या 1

महिला अपराधियों का आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	आयु समूह	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	20 वर्ष से कम	8	26.66
2.	20 से 30 वर्ष	15	50
3.	31 से 40 वर्ष	3	10
4.	40 वर्ष से अधिक	4	13.33
	योग	30	100

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक महिला अपराध की प्रवृत्ति 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के अन्तर्गत पायी जाती है। 31 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में कम संख्या होती है अर्थात् इस आयु वर्ग में महिलाएं अपने सामाजिक कार्य में ज्यादा व्यस्त रहती हैं। लेकिन 40 वर्ष से अधिक होने पर कुछ महिलाओं में अपराध प्रवृत्ति पायी गयी है। लेकिन इन अपराध की प्रवृत्ति कम गम्भीर पायी गयी है।

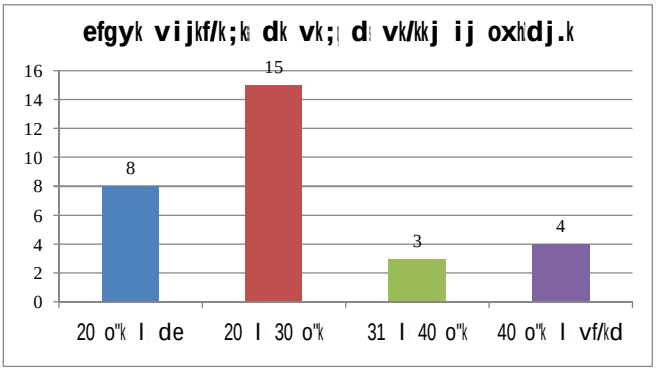

ग्राफ संख्या-1

तालिका संख्या 2

अपराधी महिलाओं द्वारा अपराध के कारण का वर्गीकरण

क्र.सं.	अपराध का कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	गरीबी एवं धन की लालसा	6	20
2.	पारिवारिक स्थितियाँ	13	43.33
3.	परिस्थितियों के कारण	5	16.66
4.	आदतन	1	3.33
5.	अन्य कारणों से	5	16.66
	योग	30	100

अपराधी महिलाओं के कारणों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं में अपराधी प्रवृत्तियों के लिये सबसे अधिक परिवारिक स्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, इनमें माता-पिता के द्वारा अपेक्षित व्यवहार

के साथ पति का व्यवहार भी शामिल है। गरीबी व धन का लालच भी 20 प्रतिशत महिलाओं को, जो अपराध के लिए जिम्मेदार है, प्रेरित करता है। महिला अपराधियों में आदतन अपराधियों का प्रतिशत बहुत कम पाया गया है।

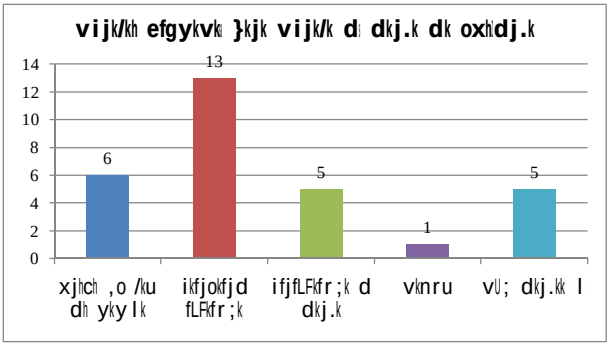

ग्राफ सं.-2

तालिका संख्या 3

अपराधी महिलाओं के अपराध करने की प्रकृति

क्र.सं.	अपराध के प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पहली बार	27	90
2.	बार-बार	03	10
	योग	30	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि अपराधी महिलाएँ अकस्मात् प्रथम बार अपराध की प्रवृत्तियों में लिप्त पायी गयी अर्थात् उन्होंने मजबूरी में अपराध का कार्य किया इसके पीछे कारण सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति भी है। केवल 3 अपराधी महिलाएँ ऐसी पायी गयी जो पहले भी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा ये ज्यादातर संगठित अपराध कर धन इकट्ठा करने के कार्यों में लिप्त पायी गयी।

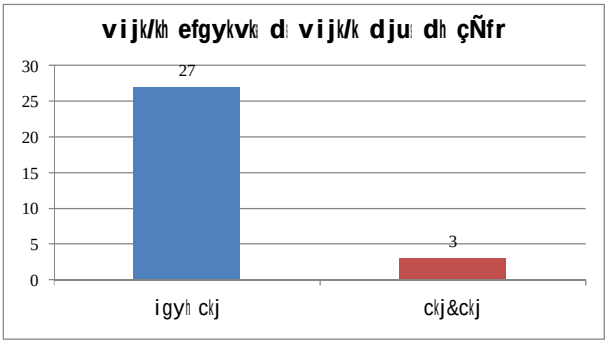

ग्राफ सं॰-3

तालिका संख्या 4

अपराधी महिलाओं के द्वारा किये गये अपराधों के प्रकार का विवरण

क्र.सं.	अपराध के प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	चोरी व गबन, जेब काटना	12	40
2.	हत्या एवं हत्या के प्रयास	03	10
3.	संगठित अपराध/साइबर क्षेत्र/ठगी	08	26.66
4.	अन्य क्षेत्र	07	23.33
	योग	30	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अपराधी महिलाओं की आवृत्ति सबसे अधिक जेब काटना, गबन एवं चोरी के साथ-साथ ऐसी वारदात में संलिप्तता पायी गयी जिसमें महिलाएँ अपने धनापूर्ति करने के लिये पायी गयी। हत्या एवं हत्या के प्रयास में अधिकतर महिलाएँ अनैतिक सम्बन्धों के प्रभावों का कारण निकलता है। इनमें महिलाएँ ऐसी पायी गयी जो अपने पति की हत्या में संलिप्त पायी गयी तथा बच्चे होने के बावजूद विवाहेत्तर सम्बन्धों के कारण ये कदम उठाये। ठगी एवं साइबर क्राइम में भी महिला अपराधियों की सहभागिता बढ़ती जा रही है। इसका कारण साक्षरता दर का बढ़ता एवं महिलाओं का हर क्षेत्र आगे बढ़ना पाया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाएँ अन्य क्षेत्रों में भी संलिप्त पायी गयी हैं।

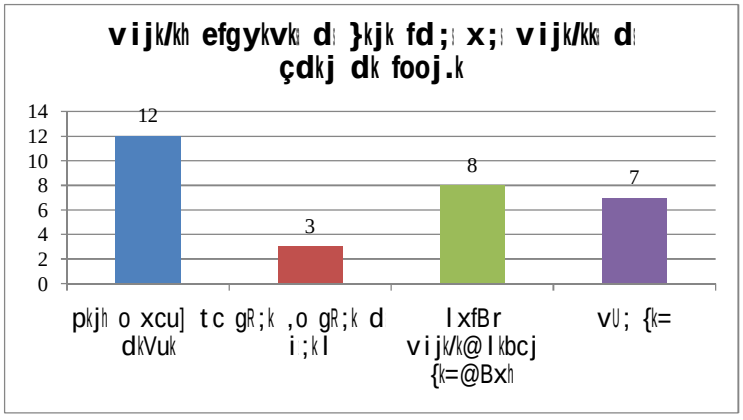

ग्राफ सं.-4

तालिका संख्या 5

अपराधी महिलाओं का वैवाहिक स्थिति के अनुसार वर्गीकरण

क्र.सं.	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अविवाहित	04	13.33
2.	विवाहित	19	63.33
3.	विधवा	03	10
4.	अन्य	04	13.33
	योग	30	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अपराधी विवाहित महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया है। तलाकशुदा एवं अविवाहित, विधवा एवं छुटी हुई महिला अपराधी भी पायी गयी जो मानसिक रूप से समाज से अपने आप को अलग महसूस करने लगती थी।

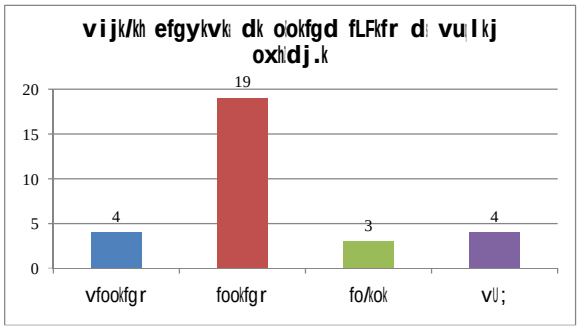

ग्राफ सं.-5

तालिका संख्या 6

अपराधी महिलाओं के परिवारों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	एकाकी	23	76.66
2.	संयुक्त	07	23.33
	योग	30	100

अपराधी महिलाओं का परिवार का प्रकृति के आधार पर अध्ययन करने पर पता चलता है। अधिकतर अपराधी महिलाएँ एकाकी परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। केवल एक चैथाई महिलाएँ संयुक्त परिवार से सम्बन्धित पायी गयी हैं। अर्थात् एकाकी परिवार की प्रवृत्ति की अपराधी व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका अर्थ है कि एकाकी परिवार संयुक्त परिवार की तुलना में सामाजिक नियन्त्रण कम करता है।

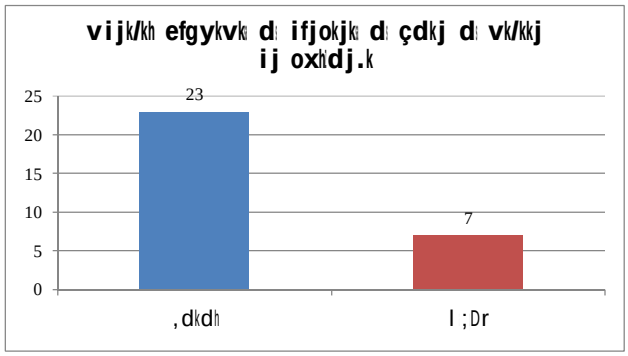

ग्राफ सं.-6

तालिका संख्या 7

अपराधी महिलाओं का शैक्षिक आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	शिक्षा का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाई स्कूल से कम	06	20
2.	हाईस्कूल	08	26.66
3.	इण्टर	03	10
4.	स्नातक एवं परस्नातक	10	33.33
5.	अन्य	03	10
	योग	30	100

अपराधी महिलाओं के शैक्षिक स्तर का अध्ययन करने पर पता चलता है कि जिन महिला अपराधी का शैक्षिक स्तर कम है वे जेब काटना, धोखाधड़ी जैसे अपराध में लिप्त पायी जाती हैं। स्नातक एवं परस्नातमक स्तर की शिक्षा की महिलाएँ अपराध क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। उच्च शिक्षित महिलाएँ साइबर क्षेत्र से सम्बन्धित अपराधों में लिप्त पायी जाती हैं।

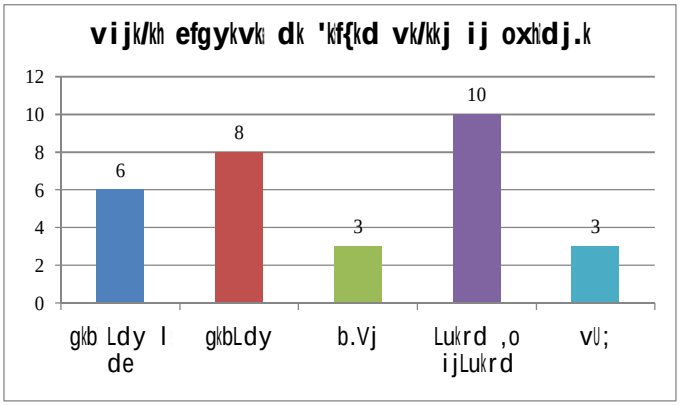

ग्राफ सं.-7

महिला अपराध को बढ़ाने वाले कारकों का विश्लेषण अपराध की प्रकृति इतनी अधिक जटिल है कि इसके लिये कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं होता। अपराध के निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं-

अपराध के अनेक जैविक कारण जैसे-आयु, लिंग, शरीरिक दोष, जन्मस्थान, जलवायु आदि प्रभावित करते हैं।

अपराध के मनोवैज्ञानिक कारकों में मानसिक रोग, अस्थिर संवेगात्मकता एवं मानसिक विकास एवं दूषित चरित्र आदि प्रमुख होते हैं।

अपराध के पारिवारिक कारण इसीलिये जिम्मेदार हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार का अद्‌वितीय स्थान है। परिवार सामान्य निन्त्रण का महत्वपूर्ण साधन है।

अपराध के आर्थिक कारण में गरीबी, बेकारी, धन की कमी परिवार में क्लेश पैदा करती है, जो अपराध को बढ़ावा देती है।

अपराध की आवृत्ति को भौगोलिक प्रभाव सीधा-सीधा प्रभावित करता है। अनेक विद्वानों के मतानुसार गर्म जलवायु में व्यक्ति के विरूद्ध अधिकार एवं ठण्डी जलवायु में सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध अधिक होते हैं। डैक्सटर ने बताया है कि बेरोमीटर के पारे के गिरने पर अपराध की संख्या बढ़ती है। लकेसन ने अपराधी कैलेण्डर का निर्माण किया जिसमें भौगोलिक पर्यावरण और अपराध का सम्बन्ध स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यह अपराध कैलेण्डर निम्न प्रकार दिया गया है-

तालिका संख्या 8

अपराध की प्रवृत्ति पर पर्यावरण का प्रभाव का वर्गीकरण

क्र.सं.	अपराध के प्रकार	समय
1.	भ्रूण हत्या	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल
2.	हत्या एवं गम्भीर अपराध	जुलाई
3.	पितृ हत्या	जनवरी, अक्टूबर
4.	प्रौढ़ो में बलात्कार	जुलाई, अगस्त
5.	युवकों में बलात्कार	जून
6.	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध	दिसम्बर, जनवरी
7.	व्यक्ति के विरूद्ध अपराध	मई, जून

महिलाएँ अपराध विविध कारणों से करती हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने महिला अपराध की विवेचना महिला के चरित्र को महत्त्व देकर की है। उनके अनुसार महिलाओं में कामवासना है। कम या अधिक रूप से अपराध जैसी समस्या का यह मूल है। हमारे समाज में भी आये दिन अखबारों में खबरें पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या एवं हत्या के प्रयास सामने आते हैं। अधिकांश महिलाओं के प्रति परिवारजनों एवं पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा नहीं पाया जाता जो उनकी अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। भारतीय समाज में महिलाओं से मर्यादाओं, आर्दशों की आशा की जाती रही है। महिला का अपराधी होना सामाजिक व्यवस्था के चरमारने का संकेत है। महिला के अपराध का समाज पर अत्यधिक गहरा प्रभाव उसके बच्चों और परिजनों पर पड़ता है। अपराध की समस्या को दूर करने के लिये महिलाओं को समता की शिक्षा के साथ-साथ भारतीय परिवेश के अनुकूल उत्तरदायी, सहिष्णु, आज्ञाकारी, धर्मवान महिला के रूप में जीवन यापन की शिक्षा दिया जाना चाहिए और महिलाओं के चारित्रिक गुणों का विकास करना होगा जो अपराध को रोकने में मदद करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 Adwani, Nirmala H., Perspectives on Adult Crime and Correction, New Delhi : Abhinav Publication, 1978.

2 Agnithotri, V., Fallen Women : A Study with Special Reference to Kanpur, Kanpur : Maharaja Printer's, 1964

3 Ahuja, Ram, Female Offenders in India, Meerut : Meenakshi Prakashan, 1969.

4 Ahuja, Ram, "Female Murders in India - A Sociological Study", IJSW, XXXI, 1970.

5 भारद्वाज, सुनीता, अपराधी महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन, स्नातकोत्तर अन्वेष-प्रबन्ध, प.म.ब. गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय, इंदौर, 1989

6 Ghosh, S., Female Criminals in India, New Delhi : Uppal Publishing House, 1986.

7 Hooja, S.L., "Prostitution in Rajasthan : Then and Now" in Ind. J. Soc. Work, XXXI, 1970.

8 Mathur, A.S. and R. Gupta, Prostitutes and Prostitution, Agra : Ram Prasad and Sons, 1965.

9 Panakal, J.J., "Prostitution in India" in Indian Journal of Criminology, Vol. 2, 1974.

9 Punekar, S.D. and Kamla Rao, Study of Prostitutes in Bombay, Bomaby : Lawni, 1955.

10 सिंह सीमा, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध - एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, स्नातकोत्तर अन्वेष-प्रबन्ध, आगरा विश्वविद्यालय, 1986

11 Shastri, Tara, A Socio-Economic Survey of Women Prisoners in Maharashtra State, New Delhi : National Institute of Social Defence, 1975.

12 Sohoni, N.K., "Women Prisoners in India" in International Social Work, XVIII, 1975.

13 स्पालडिंग आर. ई., दि रिजल्ट्स ऑफ़ मेन्टल एण्ड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ़ 400 आफेन्डरस, 1950

14 सुलेजन्जर, टी0ई0, फिमेल क्रिमिनलिटी इन ओमहा, 1936

15 हिन्दुस्तान, 3 दिसम्बर, 2017

16 अमर उजाला

17 दैनिक जागरण

18 नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 2017